

NO: A-35011/29/2012--Ad.III-MCA/64015/2018

भारत सरकार/Government of India

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय/Ministry of Corporate Affairs

\*\*\*\*\*

New Delhi, dated the 16<sup>th</sup> August, 2018.

To

The Under Secretary,  
RR Division, UPSC,  
Dholpur House, New Delhi.

Subject: Implementation of 7<sup>th</sup> CPC recommendations – amendments in RRs–  
Reg.

Sir,

I am directed to forward a copy of the Gazette Notifications published in the Official Gazette of India for amendments made in the RRs for following posts:-

Sl. No.	Name of the Post	GSR No. and Date of Notification
1.	Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market)/Additional Director (Financial Transaction)/Joint Director (Financial Transaction)	95(E) dated 23.01.2018
2.	Prosecutor/Senior Prosecutor	290(E) dated 27.03.2018
3.	Assistant Director (Law)	291(E) dated 27.03.2018
4.	Assistant Director (Investigation)	<del>221(E)</del> dated 27.03.2018 292(E)
5.	Assistant Director (Corporate Law)/Senior Assistant Director (Corporate Law)/Deputy Director (Corporate Law)	361(E) dated 02.04.2018
6.	Senior Assistant Director (Capital Market)/Assistant Director (Capital Market)	563(E) dated 14.06.2018

Contd....P. 2/C

7.	Additional Director (Forensic Audit)/Joint Director (Forensic Audit)/Additional Director (Investigation)/Joint Director (Investigation)	633(E) dated 10.07.2018
8.	Senior Assistant Director (Taxation)	634(E) dated 10.07.2018
9.	Senior Assistant Director (Custom & Central Excise)	635(E) dated 10.07.2018
10.	Deputy Director (Investiation)	636(E) dated 10.07.2018
11.	Assistant Director (Banking)/Senior Assistant Director (Banking)/Deputy Director (Banking)	637(E) dated 10.07.2018
12.	Assistant Director (Forensic Audit)/Senior Assistant Director (Forensic Audit)/Deputy Director (Forensic Audit)	638(E) dated 10.07.2018
13.	Assistant/Office Suprintendent	639(E) dated 10.07.2018
14.	Senior Assistant Director (Investigation)	640(E) dated 10.07.2018
13.	Stenographer Grade-I/Private Secretary/Principal Private Secretary	641(E) dated 10.07.2018

Yours faithfully,



( Manish Kumar Sahay )

Under Secretary to the Government of India

Tel: 2338 3507

✓ Copy to:- Serious Fraud Investigation Office, New Delhi for information.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 2018/माघ 5, 1939

No. 50]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 2018/MAGHA 5, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2018

**सा.का.नि. 95(अ).—** केंद्र सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, अपर निदेशक (पूंजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (पूंजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (पूंजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) और अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

**“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - पदों की संख्या, और उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।”**

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, -

(i) क्रम सं. 1 में, अपर निदेशक (पूंजी बाजार)/ संयुक्त निदेशक (पूंजी बाजार) के पदों के सामने -

(क) स्तंभ (1) में, निम्नलिखित 'टिप्पण' अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण:- एक समय में केवल एक पद अर्थात् यथास्थिति अपर निदेशक (पूँजी बाजार) या संयुक्त निदेशक (पूँजी बाजार), परिचालित किया जाएगा।";

(ख) स्तंभ (4) में-

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमाना।";

(ii) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(i) अपर निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (1,23,100-2,15,900 रुपए);

(ii) संयुक्त निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)।";

(ग) स्तंभ (11) में, शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' के अधीन,-

(i) "स्वायत्त एवं कानूनी निकायों" शब्दों के स्थान पर, "स्वायत्त या कानूनी निकायों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपशीर्षक अपर निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए खंड (क) में मद (ii) में "वेतन बैंड - 3, 15,600-39,100 रुपए + 7600 रुपए ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) उपशीर्षक संयुक्त निदेशक (पूँजी बाजार) के पद के लिए मद (ii) में "वेतन बैंड - 3, 15,600-39,100 रुपए + 6600 रुपए ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के लिए "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) उपशीर्षक 'आवश्यक' के अधीन 'प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' शब्दों और कोष्ठकों के बाद "किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपशीर्षक 'वांछनीय' के अधीन,-

(क) मद (i) में, "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" शब्दों के पश्चात्, "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (ii) में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्दों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(vi) 'टिप्पण' का लोप किया जाएगा;

(घ) स्तंभ (13) में विद्यमान प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् "संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है।";

(ii) क्रम सं. (2) में, अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार)/संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पदों के सामने, -

(क) स्तंभ (1) में, निम्नलिखित 'टिप्पण' रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण:- एक समय में केवल एक पद अर्थात् यथास्थिति अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) या संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार), परिचालित किया जाएगा।";

(ख) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(i) अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (1,23,100-2,15,900 रुपए);

(ii) संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के लिए वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)।”;

(ग) स्तंभ (11) में, शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)' के अधीन,-

(i) “स्वायत्त एवं कानूनी निकायों” शब्दों के स्थान पर, “स्वायत्त या कानूनी निकायों” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपशीर्षक अपर निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के स्थान पर खंड (क) में मद (ii) में “वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 + ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12 (78,800-2,09,200 रुपए)” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) उपशीर्षक संयुक्त निदेशक (वित्तीय संव्यवहार) के पद के स्थान पर मद (ii) में “वेतन बैंड – 3, 15,600-39,100 रुपए + ग्रेड वेतन 6600 रुपए” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपए)” शब्द, संख्या और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) उपशीर्षक 'आवश्यक' के अधीन 'प्रबंधन (वित्त) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' शब्दों और कोष्ठकों के बाद “किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से” शब्द रखे जाएंगे;

(v) उपशीर्षक 'वांछनीय' के अंतर्गत,-

(क) मद (i) में, “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” शब्दों के लिए, “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (i) के पश्चात्, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(ii) साक्ष्य एकत्र करने के तरीको और तकनीकों या अभियोजन कार्यवाही में उपयोग किए जाने के लिए कथन की अभिलेखन या सर्वोत्तम साक्ष्य को एकत्र करने, समेकित और प्रस्तुत करने का अभिज्ञ होना चाहिए।”;

(vi) टिप्पण 1 में, “प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा” शब्दों के स्थान पर “प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयुसीमा” शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(vii) 'टिप्पण-2' का लोप किया जाएगा;

(घ) स्तंभ (13) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् “संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श करना आवश्यक है।”।

[फा. सं. ए-35011/29/2012-प्रशा. III]

के वी आर मूर्ति , संयुक्त सचिव,

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 21 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना सं. 800(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2018

**G.S.R. 95(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market) and Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2015, (herein after referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

**"3. Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.**- The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule."

3. In the said rules, in the Schedule, -

(i) in serial number 1, against the posts of Additional Director (Capital Market)/Joint Director (Capital Market), -

(a) in column (1), the following 'Note' shall be inserted, namely:-

"Note:- Only one post i.e. either Additional Director (Capital Market) or Joint Director (Capital Market), as the case may be, is to be operated at a time.";

(b) in column (4)-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix or pay scale.";

(ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"(i) Level 13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in the pay matrix for the post of Additional Director (Capital Market);

(ii) Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix for the post of Joint Director (Capital Market).";

(c) in column (11), under the heading 'Deputation (Including short-term contract)', -

(i) for the words, "autonomous and statutory bodies", the words, "autonomous or statutory bodies", shall be substituted;

(ii) under sub-heading 'For the post of Additional Director (Capital Market)', in clause (A), in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600", the words, figures, letters and brackets, "level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200)", shall be substituted;

(iii) under sub-heading 'For the post of Joint Director (Capital Market)', in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600", the words, figures, letters and brackets, "level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700)", shall be substituted;

- (iv) under sub-heading 'Essential', after the words and brackets, "Post Graduate Diploma in Management (Finance)", the words, "from a recognised university or institute" shall be inserted;
- (v) under sub-heading 'Desirable',-
- (a) in item (i), for the words, "recognised university", the words, "recognised university or institute", shall be substituted;
- (b) in item (ii), for the words, "maximum age limit for appointment by deputation", the words and brackets, "maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)", shall be substituted;
- (vi) the 'Note' shall be omitted;
- (d) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Consultation with Union Public Service Commission necessary. ";
- (ii) in serial number 2, against the posts of Additional Director (Financial Transactions)/Joint Director (Financial Transactions), -
- (a) in column (1), the following 'Note' shall be inserted, namely:-  
"Note:- Only one post, i.e. Additional Director (Financial Transactions) or Joint Director (Financial Transactions) is to be operated at a time.";
- (b) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
(i) Level 13 (Rs. 1,23,100-2,15,900) in pay matrix for the post of Additional Director (Financial Transactions);  
(ii) Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200) in pay matrix for the post of Joint Director (Financial Transactions).";
- (c) in column (11), under the heading 'By deputation (including short-term contract)',-
- (i) for the words, "autonomous and statutory bodies", the words, "autonomous or statutory bodies", shall be substituted;
- (ii) under sub-heading 'For the post of Additional Director (Financial Transactions)', in clause (A), in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600", the words, figures, letters and brackets, "level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800-2,09,200)", shall be substituted;
- (iii) under sub-heading 'For the post of Joint Director (Financial Transactions)', in item (ii), for the words, figures and letters, "pay band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600", the words, figures, letters and brackets, "level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700-2,08,700)", shall be substituted;
- (iv) under sub-heading 'Essential', after the words and brackets, "Post Graduate Diploma in Management (Finance)", the words, "from a recognised university or institute" shall be inserted;
- (v) under sub-heading 'Desirable', -
- (a) in item (i), for the words, "recognised university", the words, "recognised university or institute", shall be substituted;
- (b) after the item (i), the following item shall be inserted, namely:-  
"(ii) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.";
- (vi) in Note.1, for the words, "The maximum age limit for appointment by deputation", the words and brackets, "The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract)", shall be substituted;
- (vii) the 'Note.2' shall be omitted;

(d) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Consultation with Union Public Service Commission necessary."

[F. No. A-35011/29/2012-Ad.III]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published *vide* notification number 800(E), dated 21<sup>st</sup> October, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21<sup>st</sup> October, 2015.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by RAKESH  
SUKUL  
Date: 2018.01.28 12:27:02  
+05'30'





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2018/चैत्र 7, 1940

No. 190]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2018/CHAITRA 7, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 290(ब)** .—केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अभियोजक और ज्येष्ठ अभियोजक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”

3. उक्त नियमों की अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 1 में, अभियोजक के पद के सामने

(क) स्तंभ (4) में,

(अ) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान”।;

(आ) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् –

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8(47,600-1,51,100रु.);"

(ख) स्तंभ (6) में, 'टिप्पण' के स्थान पर निम्नलिखित 'टिप्पण' रखा जाएगा, अर्थात् :-

**"टिप्पण –** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जो सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विज्ञापित की जाए।";

(ग) स्तंभ (7) में,-

(अ) 'आवश्यक' शीर्ष के अधीन, मद (i) में, "किसी भी विषय में स्नातक विधि में बैचलर डिग्री" शब्दों के स्थान पर "किसी भी विषय में स्नातक और किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री" शब्द रखे जायेंगे;

(आ) 'आवश्यक' शीर्ष के अधीन, मद (II) में "विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम)" कोष्ठक, अंक और शब्दों से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(इ) 'वांछनीय' शीर्ष के अधीन, मद (II) में, "विधि में मास्टर (एलएलएम)" कोष्ठक और अक्षरों से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) स्तंभ (9) में, "दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण" शब्दों के स्थान पर "दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण, जैसा एसएफआईओ द्वारा विहित और प्रायोजित है" शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) स्तंभ (11) में, 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन,-

(i)\* हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।;

(ii) मद (क) के उप-मद(II) में, "वेतन बैंड -2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7(44,900-1,42,400 रु.)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iii) मद (क) के उप मद (III) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34,800 रुपये + ग्रेड वेतन 4200रु", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6(35,400-1,12,400 रु.)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(iv) 'टिप्पण' में,-

(क) मद (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) \* (ii) में, हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।;

(च) स्तंभ (12) में, "पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति" शब्दों के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(छ) स्तंभ (13) में, 'विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्,-

"प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है";

(ii) क्रम संख्या 2 में ज्येष्ठ अभियोजक के पद के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् –

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56,100-1,77,500 रु.);"

(ख) स्तंभ (11) में,-

(i) "प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" शीर्ष का लोप किया जाएगा;

(ii) 'प्रोन्नति' उप-शीर्ष के अधीन-

- (क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये" शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8(47,600-1,51,100 रु.)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ख) 'टिप्पण 1' के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् -  
 "जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब, जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
- (ग) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
- (iii) 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन, -
- (क) "कानूनी और स्वायत्त निकायों" शब्दों के लिए "कानूनी या स्वायत्त निकायों" शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) मद (क) के उप-मद (II) में "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4800 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रु.)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ग) मद (क) के उप-मद (III) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपये + ग्रेड वेतन 4600 रुपये" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400 रु.)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (घ) "आवश्यक" उप-शीर्ष के अधीन मद (क) के उप-मद (i) में, "विधि में बैचलर डिग्री" शब्दों के स्थान पर "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री" शब्द रखे जाएंगे।
- (ङ) "आवश्यक" उप-शीर्ष के अधीन, मद (क) के उप मद (ii) में, "विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत स्नातक" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि (5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में एकीकृत स्नातक" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (च) "वांछनीय" उप-शीर्ष के अधीन, मद (ii) में "विधि में मास्टर (एलएलएम)" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठक से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्दों को अंतःस्थापित किये जाएंगे;
- (छ) 'टिप्पण' में, -
- (क) \*हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।;
- (ख) मद (ii) के लिए, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् -  
 "(ii) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे";
- (iv) स्तंभ (12) में, "पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति" शब्दों के स्थान पर "विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (v) स्तंभ (13) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -  
 "किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है"

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 15 मार्च, 2016 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

**G.S.R. 290.(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Prosecutor and Senior Prosecutor, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-
 

**"3. Number of posts, classification, level in the pay matrix .-** The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule."
3. In the said rules, in the Schedule, -
  - (i) in serial number 1, against the post of Prosecutor, -
    - (a) in column (4),
      - (A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-  
"Level in the pay matrix or pay scale.";
      - (B) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Level 8 in pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100).";
    - (b) in column (6), for the 'Note', the following 'Note' shall be substituted, namely:-  
"Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the date as advertised for direct recruits.";
    - (c) in column (7),-
      - (A) under the heading 'Essential', in item (I), for the words "Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law", the words "Graduate in any discipline plus bachelor's degree in Law from a recognised university or institute" shall be substituted;
      - (B) under the heading 'Essential', in item (II), after the brackets, figures and words "(5 years duration)", the words "from a recognised university or institute" shall be inserted;
      - (C) under the heading 'Desirable', in item (II), after the brackets and letters "(LLM)", the words "from a recognised university or institute" shall be substituted;
    - (d) in column (9), for the words, "mandatory induction training of two weeks duration", the words, "mandatory induction training of two weeks duration, as prescribed and sponsored by SFIO", shall be substituted;
    - (e) in column (11), under the heading 'Deputation (Including Short-term Contract)', -
      - (i) for the words, "Autonomous and Statutory", the words, "autonomous or statutory", shall be substituted;
      - (ii) in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and letters, "Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, letters and brackets, "level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;
      - (iii) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, "Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures, letters and brackets, "level 6 in pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)", shall be substituted;
      - (iv) in the 'Note', -
        - (a) item (i) shall be omitted;
        - (b) in item (ii), for the words, "shall be for a period of three years", the words, "shall ordinarily not to exceed three years", shall be substituted;
    - (f) in column (12), for the words, "Departmental Confirmation Committee for considering confirmation", the words and brackets, "Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)", shall be substituted;
    - (g) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion";
  - (ii) in serial number 2, against the post of Senior Prosecutor, -
    - (a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Level-10 in pay matrix (Rs. 56,100-1,77,500)";
    - (b) in column (11), -
      - (i) the heading "Promotion/Deputation (Including Short-Term Contract)" shall be omitted;
      - (ii) under the sub-heading 'Promotion',-
        - (a) for the words and figures, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800", the words, figures and brackets, "level 8 in pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)" shall be substituted;
        - (b) for 'Note 1', the following 'Note' shall be substituted, namely:-

“Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.”;

- (c) the Note 2 shall be omitted;
- (iii) under the heading 'Deputation (Including Short-Term Contract)',-
- (a) for the words, “statutory and autonomous bodies”, the words, “autonomous or statutory bodies”, shall be substituted;
- (b) in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and letters, “pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4800”, the words, figures, letters and brackets, “level 8 in pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)” shall be substituted;
- (c) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, “Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600”, the words, figures, letters and brackets, “level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)” shall be substituted;
- (d) under sub-heading 'Essential', in item (A), in sub-item (I), for the words “bachelor's degree in Law”, the words, “bachelor's degree in Law from a recognised university or institute” shall be substituted;
- (e) under sub-heading 'Essential', in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and brackets “Integrated graduate in Law (5 years duration)”, the words, figures and brackets “Integrated graduate in Law (5 years duration) from a recognised university or institute”, shall be substituted;
- (f) under sub-heading 'Desirable', in item (II), after the words, letters and brackets “Masters in Law (LLM)”, the words, “from a recognised university or institute”, shall be inserted;
- (g) in the 'Note', -
- (a) in item (i), for the words, “shall be for a period of three yearRs”, the words, “shall ordinarily not to exceed three years”, shall be substituted;
- (b) for item (ii), the following item shall be substituted, namely:-
- “(ii) The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, deputationists shall not be eligible for appointment by promotion”;
- (iv) in column (12), for the words, “Departmental Confirmation Committee for considering confirmation”, the words and brackets, “Departmental Promotion Committee (for considering promotion)”, shall be substituted;
- (v) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-
- “Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on Deputation (Including Short-term Contract)”;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy

**Note:**—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 302 (E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15<sup>th</sup> March, 2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 291.(ब)**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (विधि), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (विधि), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (विधि), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“2.पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है”

3. उक्त नियमों की अनुसूची के

(i) स्तंभ (4) में, -

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान I";

(आ) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 - 1,51,100/- रु.)";

(ii) स्तंभ 11 में, 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन, -

(क) "स्वायत्त और कानूनी" शब्दों के स्थान पर "स्वायत्त या कानूनी", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (क), के उप-मद (II) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए + ग्रेड वेतन 4600 रूपए", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रु.)" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) मद (क), के उप-मद (III) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए + ग्रेड वेतन 4200 रूपए", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400-1,12,400 रु.)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) मद (I) में 'आवश्यक' उपशीर्ष के अधीन "किसी भी विषय" शब्दों से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) मद (II) के 'आवश्यक' उपशीर्ष के अधीन "विधि (पांच वर्षीय पाठ्यक्रम)" कोष्ठकों और शब्दों से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) 'वांछनीय अर्हता' उपशीर्ष के स्थान पर 'वांछनीय' उपशीर्ष रखा जाएगा;

(छ) मद (I) में 'वांछनीय अर्हता' उपशीर्ष के अधीन "एक वर्ष का अतिरिक्त अनुभव" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष का अनुभव" शब्द रखे जाएंगे;

(ज) मद (II) के 'वांछनीय अर्हता' उपशीर्ष के अधीन "विधि में मास्टर (एलएलएम)" शब्दों और कोष्ठकों से पहले "किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(झ) 'टिप्पणी' में,-

(क) मद 1 का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए आयुसीमा" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए आयुसीमा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :**—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 मार्च, 2016 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 297(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018

**G.S.R. 291(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Law), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Law), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Law), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.- The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

3. In the said rules, in the Schedule, -

(i) In column (4),-

(A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix or pay scale.";

(B) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100).";

(ii) in column (11), under the heading 'Deputation (Including Short-term Contract)',-

(a) for the words, "Autonomous and Statutory", the words, "Autonomous or Statutory", shall be substituted;

(b) in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and letters, "pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and", the words, figures, letters and brackets, "level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department; or" shall be substituted;

(c) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures, letters and brackets, "level 6 in pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)" shall be substituted;

(d) under sub-heading 'Essential', in item (I), after the words, "Bachelor's degree in Law", the words, "from a recognised university or institute", shall be inserted;

(e) under sub-heading 'Essential', in item (II), after the brackets and words, "(five years' duration)", the words, "from a recognised university or institute" shall be inserted;

(f) for the sub-heading, "Desirable Qualification", the sub-heading, "Desirable" shall be substituted;

(g) under sub-heading 'Desirable Qualification', in item (I), for the words, "Additional one year experience", the words, "One year experience", shall be substituted;

(h) under sub-heading 'Desirable Qualification', in item (II), after the words and brackets, "Masters' in Law (LLM)", the words, "from a recognised university or institute", shall be inserted;

(i) in the 'Note',-

(A) item (i) shall be omitted;

(B) in item (ii), for the words, "Age-limit for appointment by deputation", the words and brackets, "Age-limit for appointment by deputation (Including Short-term Contract)" shall be substituted;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad. III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:**—The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 297 (E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15<sup>th</sup> March, 2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2018

**सा.का.नि. 292(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 का 18) 2013 की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (अन्वेषण), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (अन्वेषण), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (अन्वेषण), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2.पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।";

3. उक्त नियमों की अनुसूची के

(i) स्तंभ (4) में, -

(अ) शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमाना";

(आ) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47,600 - 1,51,100/- रुपए)";

(ii) स्तंभ 11 में, 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है)' शीर्ष के अधीन, -

(क) "स्वायत्त और कानूनी" शब्दों के स्थान पर "स्वायत्त या कानूनी", शब्द रखे जाएंगे;

(ख) मद (क), के उप-मद (ii) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4600 रुपए", शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400/- रुपए) में स्तर-7" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) मद (क), के उप-मद (iii) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए + ग्रेड वेतन 4200 रुपए", शब्दों और अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स (35,400-1,12,400 रुपए) में स्तर-6" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) मद (क) के उप-मद (iv) का लोप किया जाएगा;

(ङ) 'टिप्पण' में,-

(क) मद (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (ii) की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद (प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।"

(ग) मद (ii) में, "प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा" शब्दों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:-** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 296(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा तारीख 15 मार्च, 2016 को प्रकाशित किए गए थे।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2018.

**G.S.R. 292 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2. the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification, level in the pay matrix. - The number of posts, their classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";



3. In the said rules, in the Schedule, -

- (i) In column (4),-
- (A) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-  
"Level in pay matrix or pay scale.";
- (B) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)";
- (ii) in column (11), under the heading 'Deputation (Including Short-term Contract)',-
- (a) for the words, "Autonomous and Statutory", the words, "Autonomous or Statutory", shall be substituted;
- (b) in item (A), in sub-item (II), for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, letters and brackets, "level 7 in pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;
- (c) in item (A), in sub-item (III), for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures, letters and brackets, "level 6 in pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)" shall be substituted;
- (d) in item (A), sub-item (IV) shall be omitted;
- (e) in the 'Note',-
- (a) item (i) shall be omitted;
- (b) in item (ii), for the words, "Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post", the words and brackets, "Period of deputation (Including Short-term Contract) including period of deputation (Including Short-term Contract) in another ex-cadre post" shall be substituted;
- (c) in item (ii), for the words, "Age-limit for appointment by deputation", the words and brackets, "Age-limit for appointment by deputation (Including Short-term Contract)" shall be substituted;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad. III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:**-The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 296 (E), dated the 14<sup>th</sup> March, 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15<sup>th</sup> March, 2016.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by  
RAKESH SUKUL  
Date: 2018.03.31 16:23:05  
+05'30'





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940

No. 233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2018

**सा.का.नि. 361(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ) भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ), भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ), ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) और उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ) भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विहित हैं।"

3. उक्त नियमों के अनुसूची में, -

(अ) क्रम संख्या 1 में, सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) के पद के सामने, -

(i) स्तंभ (4) में, -

(क) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :-



"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान।";

- (ख) विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-  
"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47,600-1,51,100 रु.।";

- (ii) स्तंभ (7) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री; या  
(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में एकीकृत बैचलर डिग्री (पांच वर्ष की); या  
(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर डिग्री और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से कंपनी सचिव;

वांछनीय -

- (i) कारपोरेट लॉ के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव;  
(ii) साक्ष्य संग्रह या कथनों की रिकार्डिंग में और कार्यवाहियों में साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपकरणों और तकनीकों से सुपरिचित हो।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।";

- (iii) स्तंभ (11) में, उप-शीर्ष 'प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के अधीन, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या कानूनी या स्वायत्त निकायों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों के ऐसे अधिकारी,-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7, 44,900-1,42,400 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या  
(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6, 35,400-1,12,400 रु. में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की हो; और

- (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी";

- (आ) क्रम संख्या 2 में, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) के पद के सामने,-

- (i) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -  
"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56,100-1,77,500 रु.।"



- (ii) स्तंभ (11) में, -
- (क) उप-शीर्ष 'प्रोन्नति' के अधीन -
- I. "वेतन बैंड-2," से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "नियमित सेवा की हो" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : -
- "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47,600-1,51,100 रु. में ऐसे सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो।";
- II. टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-शीर्ष 'प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)' के अधीन, -
- I. मद (क) में, उप-मद (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- "(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47,600-1,51,100 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44,900-1,42,400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो;"
- (ग) उप-शीर्ष 'वांछनीय' के अधीन, टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;
- (इ) क्रम संख्या 3 में, उप-निदेशक (कारपोरेट लॉ) के पद के सामने,-
- (i) स्तंभ (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-
- "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67,700-2,08,700 रु.।";
- (ii) स्तंभ (11) में, -
- (क) उप-शीर्ष 'प्रोन्नति' के अधीन,-
- I. "वेतन बैंड-3" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "सेवा कर चुके हैं" से समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
- "वेतन मैट्रिक्स के स्तंभ 10, 56,100-1,77,500 रु. में ऐसे ज्येष्ठ सहायक निदेशक (कारपोरेट लॉ) जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।";
- II. टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-शीर्ष 'प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)' के अधीन, -
- I. मद (क) में, उप-मद (II) के स्थान पर निम्नलिखित उप-मद रखा जाएगा, अर्थात्-
- "(II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56,100-1,77,500 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; और";
- (ग) उप-शीर्ष 'वांछनीय' के अधीन, टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.।।।]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 15 मार्च, 2016 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 299(अ), तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।





## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2018

**G.S.R. 361(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director (Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law), Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director (Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, the Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Corporate Law), Senior Assistant Director (Corporate Law) and Deputy Director (Corporate Law) Recruitment Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

“3. Number of posts, classification, level in the pay matrix .- The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule”.

3. In the said rules, in the Schedule, -

(A) In serial number 1, against the post of Assistant Director (Corporate Law), -

(i) in column (4),-

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix or pay scale.”;

(b) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600 – 1,51,100).”;

(ii) in column (7), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Essential:

(i) Bachelor degree in Law from a recognised University or Institute; or

(ii) Integrated Bachelor degree in Law (Five Years’) from a recognised University or Institute; or

(iii) Bachelor degree in any discipline from a recognised University or Institute and Company Secretary from the Institute of Company Secretaries of India;

Desirable:

(i) One year experience in the field of Corporate Law;

(ii) should be conversant with the tools and techniques of collection of evidence or recordings of statements and presentation of evidence in proceedings.

**Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.”;

(iii) in column (11), under the sub-heading ‘Deputation (including short term contract)’, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Officers of the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies or recognised Universities or institutes,-

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or



- (iii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 6 in the pay matrix (Rs.35,400 – 1,12,400) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7).

Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years'.

Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the date of closing date of receipt of applications.”;

(B) in serial number 2, against the post of Senior Assistant Director (Corporate Law),-

- (i) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 10 in the pay matrix (Rs.56,100 – 1,77,500).”;

- (ii) in column (11), -

(a) under the sub-heading ‘Promotion’,-

- I. for the words starting with “The Departmental Assistant Director” and ending with the words “thereto in the grade”, the following shall be substituted, namely:-

“Assistant Director (Corporate Law) in level 8 in the pay matrix (Rs.47,600 – 1,51,100) with two years' regular service in the grade.”;

II. Note 2 shall be omitted;

- (b) under the sub-heading ‘Deputation (including short term contract)’,-

- I. in item (A) for sub-items (II) and (III) the following sub-items shall be substituted, namely:-

“(II) with two years' service in the grade rendered after appointment on regular basis in post in level 8 in the pay matrix (Rs.47,600 – 1,51,100) or equivalent in the parent cadre or department; or

(III) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 7 in the pay matrix (Rs.44,900 – 1,42,400) or equivalent in the parent cadre or department.”;

- (c) under the sub-heading ‘Desirable’, Note 3 shall be omitted;

(C) in serial number 3, against the post of Deputy Director (Corporate Law),-

- (i) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“Level 11 in the pay matrix (Rs.67,700-2,08,700).”;

- (ii) in column (11),-

(a) under the sub-heading ‘Promotion’,-

- I. for the words starting with “Senior Assistant Director” and ending with the words “regular service in the grade”, the following shall be substituted, namely:-

“Senior Assistant Director (Corporate Law) in level 10 in the pay matrix (Rs.56,100-1,77,500) with two years' regular service in the grade.”;



- II. Note 2 shall be omitted;
- (b) under the sub-heading 'Deputation (including short term contract)',-
- I. in item (A) for sub-item (II), the following sub-item shall be substituted, namely:-
- “(II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in level 10 in the pay matrix Rs.56,100 – 1,77,500 or equivalent in the parent cadre or department; and”;
- (c) under the sub-heading 'Desirable', Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:-**The principal rules were published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 15<sup>th</sup> March, 2016 vide notification number G.S.R. 299(E) dated the 14<sup>th</sup> March, 2016.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by RAKESH  
SUKUL  
Date: 2018.04.11 18:04:52  
+05'30'





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2018/ज्येष्ठ 25, 1940

No. 408]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2018/JYAISTHA 25, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

**सा.का.नि. 563 (अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (पूंजी बाजार) तथा सहायक निदेशक (पूंजी बाजार), भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (पूंजी बाजार) और सहायक निदेशक (पूंजी बाजार), समूह 'ख' भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (पूंजी बाजार) तथा सहायक निदेशक (पूंजी बाजार) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**“3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** पद संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।”;

3. मूल नियमों में, अनुसूची में -

(i) क्रम संख्या 1 में, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (पूंजी बाजार) पद के लिए, -

(क) स्तंभ (4) में,

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् -

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर।”;

(ii) वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए)।”;

(ख) स्तंभ (11) में,-

(i) उप-शीर्षक 'प्रोन्नति' में,-

(क) “वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4800रु. ग्रेड वेतन” शब्दों, अंको और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100रुपये)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-शीर्षक “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)” में,-

(क) खंड (क) में,-

(क) उप-खंड (I) में, “वेतन बैंड-2, 9300-34800रु + 4800रु. ग्रेड वेतन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100रुपये)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-खंड (II) में,- “वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4600रु. ग्रेड वेतन” शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400रुपये)” शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-शीर्षक 'आमेलन' में, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 2 में, सहायक निदेशक (पूँजी बाजार) पद के लिए,-

(क) स्तंभ (4) में, वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-  
“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रुपये)।”;

(ख) स्तंभ (6) में, 'टिप्पण 2' के लिए निम्नलिखित 'टिप्पण' प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“टिप्पण 2 : आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के अनुसार की जाएगी।”;

(ग) स्तंभ (7) में,-

(i) उप-शीर्षक 'अनिवार्य' में, “कंपनी सचिव” शब्दों के बाद “किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान” संस्थान शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-शीर्षक 'वांछनीय' में, “पूँजी बाजार के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव” शब्दों के स्थान पर “पूँजी बाजार के क्षेत्र में दो वर्ष का कार्य अनुभव” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) स्तंभ (11) में, शीर्षक “प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है)” में,-

(i) “स्वायत्त और कानूनी निकायों” शब्दों के स्थान पर “स्वायत्त या कानूनी निकाय” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में,-



- (क) उप-खंड (II) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + 4600 रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपये)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) उप-खंड (iii) में, "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू. + 4200रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-112400रुपये)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) टिप्पण 1 का लोप किया जाएगा;
- (iv) "टिप्पण 2" में, "दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है" शब्दों और कोष्ठकों के लिए "दूसरे बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी शामिल है" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ड) स्तंभ (13) में, वर्तमान प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् –  
"प्रत्येक अवसर पर आवश्यक रूप से संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श।";

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 236, तारीख 8 दिसंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2018

**G.S.R. 563 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Capital Market) and Assistant Director (Capital Market), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015, namely:-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Capital Market) and Assistant Director (Capital Market), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Capital Market) and Assistant Director (Capital Market), Group 'B' Post

Recruitment Rules, 2015, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

**"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule."

3. In the said rules, in the Schedule, -

(i) in serial number 1, against the post of Senior Assistant Director (Capital Market), -

(a) in column (4), -

- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-  
"Level in the pay matrix.";
- (ii) for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-  
"Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500).";

(b) in column (11), -

- (i) under the sub-heading 'Promotion', -
- (a) for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/-", the words, figures, letters and brackets "level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)" shall be substituted;
- (b) Note 2 shall be omitted;
- (ii) under the sub-heading 'Deputation (including short-term contract)', -
- (a) in clause (A), -
- (A) in sub-clause (I), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4800/-", the words, figures, letters and brackets "level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600-1,51,100)" shall be substituted;
- (B) in sub-clause (II), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/-", the words, figures, letters and brackets "level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;
- (iii) under the sub-heading 'Absorption', 'Note 2 shall be omitted;

(ii) in serial number 2, against the post of Assistant Director (Capital Market), -

(a) in column (4), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).";

(b) in column (6), for 'Note 2', the following 'Note' shall be substituted, namely:-

"Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.";

(c) in column (7), -

- (i) under sub-heading 'Essential', after the words "Company Secretary", the words "from a recognised university or institute" shall be inserted;
- (ii) under sub-heading 'Desirable', for the words "Two years' experience in the field of capital markets.", the words "Two years' work experience in the field of capital markets." shall be substituted;

- (d) in column (11), under the heading 'Deputation (including short-term contract)',-
- (i) for the words, "autonomous and statutory bodies", the words "autonomous or statutory bodies" shall be substituted;
  - (ii) in clause (A),-
    - (a) in sub-clause (II), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/-", the words, figures, letters and brackets "level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400)" shall be substituted;
    - (b) in sub-clause (III), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-", the words, figures, letters and brackets "level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400)", shall be substituted;
  - (iii) Note 1 shall be omitted;
  - (iv) in 'Note 2', for the words and brackets "Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post", the words and brackets "Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post" shall be substituted;
- (e) in column (13), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.";

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 236, dated the 08<sup>th</sup> December, 2015.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21 1940

No. 471]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

सा.का.नि. 633(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा और अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) और अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, अपर निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) और अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) और अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) समूह "क" पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् -

“3 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

3. मूल नियमों की अनुसूची में,-

(अ) अपर निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) या संयुक्त निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षा) के पदों से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(1) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान	
(4)	
(i)	रु. 118500-214100 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13
(ii)	रु. 79900-209200 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12

(ii) उप शीर्षक “प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है)” के अधीन स्तंभ (11) में,-

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, “वेतन बैंड 3,15600-39100 रु. एवं ग्रेड वेतन 7600 रु.”, शब्द, अंक और अक्षर, “78,800-209,200 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन बैंड-3,15600-39100 रु. एवं ग्रेड वेतन 6600 रु.” शब्द, अंक और अक्षर, “67700-208700 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11” रखे जाएंगे;

(आ) अपर निदेशक (अन्वेषण) या संयुक्त निदेशक (अन्वेषण) के पदों से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :-

“(i) 118500-214100 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13
“(ii) 78800-209200 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12”

(ii) स्तंभ (11) में, उप-शीर्षक ‘प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा भी है) उपशीर्षक के अधीन,-

(क) शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु एवं ग्रेड वेतन 7600 रु.” शब्द, अंक और अक्षर “78800-209200 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 12” रखे जाएंगे।

(ख) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “वेतन बैंड-3,5600-39100 रु एवं ग्रेड वेतन 6600 रु.” शब्द, अंक और अक्षर “66700-208700 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11” रखे जाएंगे।

(ग) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

[फा.सं. ए-35011/29/2012-प्रशा-III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 18 मार्च, 2016 अधिसूचना संख्या 319 (अ) तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**New Delhi, the 10<sup>th</sup> July, 2018

**G.S.R. 633(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs. Serious Fraud Investigation Office. Additional Director (Forensic Audit) or Joint Director (Forensic Audit) and Additional Director (Investigation) or Joint Director (Investigation) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs. Serious Fraud Investigation Office. Additional Director (Forensic Audit) or Joint Director (Forensic Audit) and Additional Director (Investigation) or Joint Director (Investigation) Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs. Serious Fraud Investigation Office. Additional Director (Forensic Audit) or Joint Director (Forensic Audit) and Additional Director (Investigation) or Joint Director (Investigation) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2016. (herein after referred to as the principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

**"3. Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale -** The number of said posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the Principal rules, in the Schedule, -

(A) against serial number 1, relating to the posts of Additional Director (Forensic Audit) or Joint Director (Forensic Audit), - (i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
(i) Level 13 in the Pay Matrix Rs. 1,23,100-2,15,900/ (ii) Level 12 in the Pay Matrix Rs. 78800-209200";

(ii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)', -

(a) for the words, figures and letters. "Pay Band-3. Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600", the words, figures and letters, "Level 12 in the Pay Matrix Rs. 78800-209200", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters. "Pay Band-3. Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600". the words, figures and letters. "Level 11 in the Pay Matrix Rs. 67700-208700", shall be substituted;

(c) Note 3 shall be omitted:

(B) against serial number 2, relating to the posts of Additional Director (Investigation) or Joint Director (Investigation), -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

" (i) Level 13 in the Pay Matrix Rs. 118500-214100/ (ii) Level 12 in the Pay Matrix Rs. 78800-209200";
---

(ii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (including short-term contract)', -

- (a) for the words, figures and letters. "pay band-3. Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 7600", the words, figures and letters, "Level 12 in the Pay Matrix Rs. 78800-209200", shall be substituted;
- (b) for the words, figures and letters, "pay band-3. Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs.6600", the words, figures and letters, "Level 11 in the Pay Matrix Rs. 67700-208700", shall be substituted;
- (c) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-35011/29/2012-Ad.III]  
GYANESHWAR KUMAR SINGH. Jt. Secy.

**Note:**-The principal rules were published *vide* notification number 319(E) dated 18th March, 2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 18th March, 2016.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by  
RAKESH SUKUL  
Date: 2018.07.17 22:53:12  
+05'30'





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2018/आषाढ़ 21, 1940

No. 472]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2018/ASHADHA 21, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 634(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर अन्वेषण कार्यालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक (कराधान) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक (कराधान) समूह 'ख' भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक (कराधान) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् -

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं,"

3. मूल नियमों में, अनुसूची में -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500 रु."

(ii) स्तंभ (11) में उपशीर्ष "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4800रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4600रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ 3 का लोप किया गया है;

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) को तारीख 14, मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 304(अ) तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018

**G.S.R. 634(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Taxation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Taxation), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Taxation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (herein after referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale. - The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the schedule -

(A) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500";

(B) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)' -

(a) for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800", the words, figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600", the words, figures and letters, "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;

(c) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 304 (E), dated the 14.03.2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 14.03.2016.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 635(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'ख' भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् -

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स या वेतन मान में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं,"

3. मूल नियमों में, अनुसूची में -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500 रु."

(ii) स्तंभ (11) में उपशीर्ष "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4800रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4600रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर, 7, 44900-142400रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ 3 का लोप किया गया है;

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) को तारीख 14, मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 303(अ) तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2018

**G.S.R. 635(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Customs & Central Excise), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Customs and Central Excise), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Customs and Central Excise), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016, (herein after referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.- The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the schedule, -

(A) In column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500";

(B) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)' -

(a) for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800", the words, figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600", the words, figures and letters, "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;

(c) Note 3 shall be omitted;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 303(E), dated the 14.03.2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 14.03.2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 636(ग).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, उपनिदेशक (अन्वेषण), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, उपनिदेशक (अन्वेषण), समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, उपनिदेशक (अन्वेषण) समूह 'क', पद भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् -

"2 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह स्तर होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. मूल नियमों की अनुसूची में,-

(अ) स्तंभ (4) इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स 67700-208700 में स्तर 11"

(आ) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है)" के अधीन,-

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन बैंड-3, 15600-39100रु.+ ग्रेड वेतन 5400रु." शब्द, अंक और अक्षर, "वेतन मैट्रिक्स 56100-177500 में स्तर-10" रखे जाएंगे;

(ख) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा-III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उपखंड (iii), तारीख 14.03.2016 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 301(अ) तारीख 14.03.2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018

**G.S.R. 636(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Deputy Director (Investigation), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Deputy Director (Investigation), Group 'A' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Deputy Director (Investigation), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2016. (herein after referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale. - The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the Schedule, -

(A) In column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay-scale
(4)
Level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700";

(B) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)', -

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay Rs. 5400", the words, figures and letters, "Level 10 in the pay matrix Rs. 56100-177500", shall be substituted;

(b) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 301 (E), dated the 14.03.2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 14.03.2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 637(अ).—** केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (बैंककारी), वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंककारी) तथा उप निदेशक (बैंककारी) भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (बैंककारी), वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंककारी) तथा उप निदेशक (बैंककारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (बैंककारी), वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंककारी) तथा उप निदेशक (बैंककारी) भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्: -

"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं,"

3. मूल नियमों में, अनुसूची में -

(अ) सहायक निदेशक (बैंककारी) पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने, -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-177500 रु."

(ii) स्तंभ (10) में, उपशीर्षक "सीधी भर्ती" के अधीन -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4600रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4200रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400-112400रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) वरिष्ठ सहायक निदेशक (बैंककारी) पद से संबंधित क्रम सं. 2 के मामले, -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: --

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500 रु.";
---

(ii) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4800रु ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100रु" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 2 का लोप किया गया है।

(ii) स्तंभ (11) में उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू + 4800रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू. + 4600रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ 2 का लोप किया गया है;

(इ) उप निदेशक (बैंककारी) पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने, -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700-208700रू."

(ii) स्तंभ (11) में; उपशीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन -

(क) "वेतन बैंड-3, 15600-39100 रू. + 5400 रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500 रू" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 2 का लोप किया गया है।

(iii) स्तंभ (11) में उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(क) "वेतन बैंड-3, 15600-39100रू. + 5400रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 2 का लोप किया गया है।

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) को तारीख 15 मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 298(अ) तारीख 14 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018

**G.S.R. 637(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Banking), Senior Assistant Director (Banking) and Deputy Director (Banking) Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Banking), Senior Assistant Director (Banking) and Deputy Director (Banking) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Banking), Senior Assistant Director (Banking) and Deputy Director (Banking) Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale. - The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the schedule, -

(A) against serial number 1, relating to the post of Assistant Director (Banking), -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 8 in the pay matrix Rs. 47600-177500";

(ii) in column (10), under the sub-heading 'Direct Recruitment' .-

(a) for the words, figures and letters, "pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs.4600", the words, figures and letters, "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters, "Pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200", the words, figures and letters, "Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400", shall be substituted;

(B) against serial number 2, relating to the post of Senior Assistant Director (Banking), -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 10 in the pay matrix Rs. 56100-177500";
--

(ii) in column (11), under the sub-heading 'Promotion' .-

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800", the words, figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(iii) In column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)' .-

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4800". the words, figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4600". the words, figures and letters, "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;

(c) Note 2 shall be omitted;

(C) against serial number 3, relating to the post of Deputy Director (Banking), -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 11 in the pay matrix Rs. 67700-208700";
--

(ii) in column (11), under the sub-heading 'Promotion', -

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400", the words, figures and letters, "Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(iii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)' .-



(a) for the words, figures and letters, "Pay band-3 Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400", the words, figures and letters, "Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

[F. No. A-3501 I/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 298 (E), dated the 14.03.2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 14.03.2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 638(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण), वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) तथा उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण), वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) तथा उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण), वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) तथा उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्:-

"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं,"

3. मूल नियमों में, अनुसूची में -

(क) सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100 रु."

(ii) स्तंभ (10) में, उपशीर्षक "सीधी भर्ती" के अधीन -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4600रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रु. + 4200रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400-112400रु." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) वरिष्ठ सहायक निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) पद से संबंधित क्रम सं. 2 के मामले, -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500 रु.";
---

(ii) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन -

(ग) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू. + 4800रू ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100रू" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(घ) स्तंभ 2 का लोप किया गया है।

(iii) स्तंभ (11) में उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(घ) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू + 4800रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू. + 4600रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(च) स्तंभ 3 का लोप किया गया है;

(ग) उप निदेशक (न्याय संबंधी लेखा परीक्षण) पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने, -

स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700-208700रू."

(ii) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन -

(क) "वेतन बैंड-3, 15600-39100 रू. + 5400 रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500 रू" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 2 का लोप किया गया है।

(iii) स्तंभ (11) में उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(क) "वेतन बैंड-3, 15600-39100रू. + 5400रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10, 56100-177500रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 3 का लोप किया गया है।

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.111]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2016 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 382(अ) तारीख 30 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

#### NOTIFICATION

New Delhi. the 10th July, 2018

**G.S.R. 638(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Forensic Audit), Senior Assistant Director (Forensic Audit) and Deputy Director (Forensic Audit) Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Forensic Audit), Senior Assistant Director (Forensic Audit) and Deputy Director (Forensic Audit) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Forensic Audit), Senior Assistant Director (Forensic Audit) and Deputy Director (Forensic Audit) Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.- The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the schedule, -

(A) against serial number 1, relating to the post of Assistant Director (Forensic Audit), -

(i) in column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100";

(ii) in column (10), under the sub-heading 'Direct Recruitment', -

(a) for the words, figures and letters, "pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/-", the words, figures and letters, "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-", the words, figures and letters, "Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400", shall be substituted;

(B) against serial number 2, relating to the post of Senior Assistant Director (Forensic Audit), -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500";
--

(ii) in column (11), under the sub-heading 'Promotion', -

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-2 - Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4800/-", the words, figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(iii) In column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)', -

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4800/-", the words, figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters, "Pay band-2 Rs. 9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/-", the words, figures and letters, "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;

(c) Note 3 shall be omitted;

(C) against serial number 3, relating to the post of Deputy Director (Forensic Audit)', -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level 11 in the Pay Matrix Rs. 67700-208700";
--

(ii) in column (11), under the sub-heading 'promotion', -

(a) for the words, figures and letters, "Pay Band-3 Rs. 15600-39100/- + Grade pay Rs.5400/-", the words, figures and letters, "Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(iii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)', -

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-3 Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/-", the words, figures and letters, "Level 10 in the Pay Matrix Rs. 56100-177500", shall be substituted;

(b) Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-35011/28/2009-Ad. III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 382 (E), dated the 30.03.2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 31.03.2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 639(अ).**— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक और कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक और कार्यालय अधीक्षक, भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक और कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. मूल नियमों की अनुसूची में,-

(अ) सहायक के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने -

(i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
35400-112400 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6"

(ii) स्तंभ (11) में, उप-शीर्षक " प्रतिनियुक्ति के अधीन,-

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन बैंड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 2800 रु." शब्द, अंक और अक्षर रु. 29200-92300 वेतन मैट्रिक्स, में स्तर-5" रखे जाएंगे;

(ख) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, वेतन बैंड-1, 5200-20200 और ग्रेड वेतन 2400 रु." शब्द, अंक और अक्षर रु. 25500-81100 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4" रखे जाएंगे;

(ग) टिप्पण (ii) का लोप किया जाएगा;

(आ) कार्यालय अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने

(i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"रु. 44900-142400 रु. वेतन मैट्रिक्स स्तर में 7"
--

(ii) स्तंभ (11) में, "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन,-

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु" शब्द, अंक और अक्षर, "35400-112400 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6" रखे जाएंगे;

- (ख) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;
- (iii) स्तंभ (11) में, उप-शीर्षक 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन,-
- (क) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200रु" शब्द, अंक और अक्षर, "35400-112400 रु. वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6" रखे जाएंगे;
- (ख) टिप्पण (ii) का लोप किया जाएगा;

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

जानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 14.03.2016 में अधिसूचना संख्या 300(अ) तारीख 14.03.2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2018

**G.S.R. 639(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant and Office Superintendent, Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant and Office Superintendent, Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Assistant and Office Superintendent, Recruitment Rules, 2016, (herein after referred to as the principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.- The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the schedule, -

(A) against serial number 1, relating to the post of Assistant, -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400";

(ii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation' ,-

(a) for the words, figures and letters, "Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800", the words, figures and letters "Level 5 in the Pay Matrix Rs. 29200-92300", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters, "Pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400", the words, figures and letters "Level 4 in the Pay Matrix Rs. 25500-81100", shall be substituted;

(c) Note (ii) shall be omitted;

(B) against serial number 2, relating to the post of Office Superintendent, -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400";
---

(ii) in column (11), under the sub-heading 'promotion',-

(a) for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200", the words, figures and letters, "Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(iii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation',-

(a) for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures and letters, "Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400", shall be substituted;

(b) Note (ii) shall be omitted;

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 300 (E), dated the 14.03.2016 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 14.03.2016.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 640(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2 पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।"

3. मूल नियमों की अनुसूची में,-

(i) स्तंभ (4) में, इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
56100-177500 रु वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10"

(ii) स्तंभ (11) में, उप-शीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संबिदा भी है)"

(क) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु." शब्द, अंक और अक्षर, "रु. 56100-151100रु. वेतन मैट्रिक्स, में स्तर 8" रखे जाएंगे;

(ख) शब्दों के स्थान पर, वेतनमान 9300-34800 और ग्रेड वेतन 4600 रु." शब्द, अंक और अक्षर रु. 44900-142400 रु. वेतन मैट्रिक्स, में स्तर 7" रखे जाएंगे;

(ग) टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा;

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा. III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 08.12.2015 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 238, तारीख 08.12.2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018

**G.S.R. 640(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Senior Assistant Director (Investigation), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015, (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.- The number of said posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the schedule, -

(i) In column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 10 in the pay matrix Rs. 56100-177500";

(ii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract), -

- for the words, figures and letters, "pay band-2, Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4800", the words, figures and letters, "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;
- for the words, figures and letters, "scale of pay of Rs. 9300-34800 plus grade pay Rs. 4600", the words, figures and letters, "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;
- Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 238, dated the 08.12.2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 08.12.2015.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2018

**सा.का.नि. 641(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी-I, निजी सचिव और मुख्य निजी सचिव भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी I, निजी सचिव और मुख्य निजी सचिव भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, आशुलिपिक श्रेणी I, निजी सचिव और मुख्य निजी सचिव भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात्: -

"3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं,"

3. मूल नियमों में, अनुसूची में -

(क) आशुलिपिक श्रेणी I, पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने, -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400-112400 रु."

(ख) निजी सचिव, पद से संबंधित क्रम सं. 2 सामने -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400रू."
--

(ii) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू + 4200रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6, 35400-112400रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 2 का लोप किया गया है।

(iii) स्तंभ (11) में उपशीर्षक "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + 4200 रु. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 35400-112400 रु" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 3 का लोप किया गया है;

(ग) मुख्य निजी सचिव पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने, -

(i) स्तंभ (4) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11, 67700-208700 रु.;"
---

(ii) स्तंभ (11) में, उपशीर्षक "प्रोन्नति" के अधीन -

(क) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू. + 4600रू. ग्रेड वेतन", शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7, 44900-142400रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ 2 का लोप किया गया है।



(iii) स्तंभ (11) में उपशीर्ष "प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)" में -

(क) "वेतन बैंड-3, 15600-39100रू. + 5400 रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 56100-177500 रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) "वेतन बैंड-2, 9300-34800रू. + 4800 रू. ग्रेड वेतन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8, 47600-151100 रू." शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) स्तंभ 4 का लोप किया गया है।

[फा.सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.III]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 8 दिसंबर, 2015 को अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. सं. 237(अ) तारीख 8 दिसंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2018

**G.S.R. 641 (E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Stenographer Grade-I, Private Secretary and Principal Private Secretary Recruitment Rules, 2015, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Stenographer Grade-I, Private Secretary and Principal Private Secretary Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Stenographer Grade-I, Private Secretary and Principal Private Secretary Recruitment Rules, 2015, (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of posts, classification and level in the pay matrix or pay scale.—The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the principal rules, in the schedule, -

(A) against serial number 1, relating to the post of Stenographer Grade-I, -

(i) in column (4), for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix or pay scale
(4)
Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400";

(B) against serial number 2, relating to the post of Private Secretary, -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400";
---

(ii) in column (11), under the sub-heading 'promotion',-

(a) for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200/-", the words, figures and letters "Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(iii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)',-

(a) for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200", the words, figures and letters "Level 6 in the Pay Matrix Rs. 35400-112400", shall be substituted;

(b) Note 3 shall be omitted;

(C) against serial number 3, relating to the post of Principal Private Secretary, -

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Level 11 in the Pay Matrix Rs. 67700-208700";

(ii) in column (11), under the sub-heading 'promotion',-

(a) for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4600", the words, figures and letters "Level 7 in the Pay Matrix Rs. 44900-142400", shall be substituted;

(b) Note 2 shall be omitted;

(iii) in column (11), under the sub-heading 'Deputation (Including short-term contract)',-

(a) for the words, figures and letters "pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400", the words, figures and letters "Level 10 in the Pay Matrix Rs.56100-177500", shall be substituted;

(b) for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4800", the words, figures and letters "Level 8 in the Pay Matrix Rs. 47600-151100", shall be substituted;

(c) Note 4 shall be omitted.

[F. No. A-35011/28/2009-Ad.III]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 237, dated the 08.12.2015 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 08.12.2015.

RAKESH  
SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL  
Date: 2018.07.18 16:49:01 +05'30'